भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2747

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

खतरे वाले कोयला क्षेत्रों का सर्वेक्षण

2747. श्री देवेश चन्द्र ठाकुरः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खतरे वाले कोयला क्षेत्रों में रह रहे परिवारों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की प्रत्येक सहायक इकाई में हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सहायक इकाई-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पुनर्वासित किए गए परिवारों की संख्या कितनी है और सहायक इकाई-वार उन पर कितना व्यय किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इन परिवारों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) : कोल इंडिया लि. ने कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों ईस्टर्न कोलफील्ड लि. (ईसीएल) और भारत कोकिंग कोलफील्ड लि. (बीसीसीएल) के कमान क्षेत्र के कुछ भागों में राज्य प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया है ताकि खतरे वाले कोयला क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या का पता लगाया जा सके। सीआईएल में इन क्षेत्रों के अलावा कोई अन्य खतरे वाला क्षेत्र नहीं है। इन खतरे वाले क्षेत्रों को कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अधिनियमन के तहत कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के दौरान पूर्ववर्ती निजी खान मालिकों से ले लिया गया है।

ईसीएल और बीसीसीएल ने पश्चिम बंगाल और झारखंड की राज्य सरकारों के सहयोग से क्रमश रानीगंज और झरिया कोलफील्ड्स के मास्टर प्लान के अंतर्गत चिन्हित अस्थिर स्थानों से पुनर्वास के लिए परिवारों/मकानों को चिन्हित कर लिया है। विवरण निम्नानुसार हैं-

1. ईसीएल कमान क्षेत्र के अंतर्गत रानीगंज कोलफील्ड - पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा 2017 में किए गए सर्वेक्षण में लाभार्थियों की कुल संख्या 28,991 अनुमानित की गई थी, जिसमें 6101 कानूनी स्वामित्व धारक, 22668 गैर-कानूनी स्वामित्व धारक और 222 संस्थान थे।

2. बीसीसीएल कमान क्षेत्र के तहत झरिया कोलफील्ड- वर्तमान में, जनवरी 2023 में झारखंड सरकार (जिला प्राधिकरण) और बीसीसीएल प्रबंधन के संयुक्त कार्रवाई द्वारा 81 सबसे अधिक खतरे वाले स्थलों को चिन्हित किया गया है। 81 खतरे वाले (जेएमपी) स्थलों के अंतर्गत प्रभावित परिवारों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	**श्रेणी**	**प्रभावित परिवारों की संख्या**
1	बीसीसीएल कर्मचारी	649
2	कानूनी स्वामित्व धारक परिवार	1130
3	गैर-कानूनी स्वामित्व धारक परिवार	13301
कुल		**15080**

(ग) : पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पुनर्वासित परिवारों की संख्या और उन पर किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है -

(i) ईसीएल कमान क्षेत्र के अंतर्गत रानीगंज कोलफील्ड: रानीगंज मास्टर प्लान के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पुनर्वासित परिवारों और किए गए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है

स्थिति	**2021**	**2022**	**2023**	**कुल**
स्थानांतरित परिवारों की संख्या	136	04	05	145
किया गया व्यय (करोड़)	15.456	37.454	72.655	125.565

(ii) बीसीसीएल कमान क्षेत्र के अंतर्गत झरिया कोलफील्ड: पिछले तीन वर्षों में पुनर्वासित परिवारों की संख्या और किए गए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है -

(क) गैर-बीसीसीएल परिवारों के लिए

वित्तीय वर्ष	व्यय (करोड़ रु.)	स्थानांतरित किए गए परिवार
2021-22	206.48	31
2022-23	47.90	3
2023-24	6.40	145
कुल	**260.78**	**179**

(ख) बीसीसीएल परिवारों के लिए

वित्तीय वर्ष	व्यय (करोड़ रु.)	स्थानांतरित किए गए परिवार
2021-22	0	20
2022-23	0	231
2023-24	661.57	189
कुल	**661.57**	**440**

(घ) : इन परिवारों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम निम्नानुसार हैं -

(i) ईसीएल कमांड क्षेत्र के अंतर्गत रानीगंज कोलफील्ड - प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने हेतु, गैर-ईसीएल परिवारों के पुनर्वास के लिए अनुमोदित रानीगंज मास्टर प्लान में आरएंडआर पैकेज था।

(ii) बीसीसीएल कमांड क्षेत्र के अंतर्गत झरिया कोलफील्ड - प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने हेतु, गैर-बीसीसीएल परिवारों के पुनर्वास के लिए अनुमोदित झरिया मास्टर प्लान में आरएंडआर पैकेज था।

****